कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड- अकलेरा जिला झालावाड

Email :- pwdaklera@rediffmail.com & eeaklera.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 264 दिनांक : 10/07/25

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :– **Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP under (Phase II) in Distt.Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)**

प्रसंग :– आपका पत्र कमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2025/7928 दिनांक 01.07.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि **Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Rajssthan** मे 0.95 हैक्टर वनभूमि व प्रत्यावर्तन के हेतु वनअधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड– अकलेरा जिला झालावाड

Email :- pwdaklera@rediffmail.com & eeaklera.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 634 दिनांक : 23/08/24

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :– **Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP under (Phase II) in Distt.Jhalawar.**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7795/2014) (0.95 Ha.)

सन्दर्भ :– आपका पत्र कमांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2024 / 10299
दिनांक 19.07.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित विषयाकिंत प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति तहत् धारा–2 मे **Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) in Rajssthan** मे 0.95 हैक्टर हेतु वनभूमि व प्रत्यावर्तन के लिए **FRA Certificate** पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

S.No. 649 Date :- 05.09.2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड़

विषय :– **Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.**

प्रसंग :– प्रस्ताव संख्यां **FP/RJ/ROAD/7595/2014** श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच.12 से रोज्या अण्डार आर.आर.एस.एम.पी. फैज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेत बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा । अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ो की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रूपये 5,76000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स फेज–1 लोधी रोड नही दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 94,41,132 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोंक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सडक में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सडक निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवष्कता नही होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007-- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राषि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राषि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता मे समीक्षात्मक बैठक मे दिनांक 07.08.223 को उक्त कार्य हेतु राशि रू 2225688/– सम्पर्क सडक सावल्दा की जमा राशि रू. 12697639/– से निम्नानुसार कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड पत्र कमांक एफ( )एफसीए/उवसं/2023/ 9272 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समयोजन कि अनुशंषा की है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पौधो की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/–	मांग राशि श्रमिक दर 259/–	पूर्व मे जमा राशि	शुद्ध देय राशि
7	100 वृक्षो का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277
8	प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पेड स्थानो पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	800 वृक्ष	7863496	9561716	7863496	1698220
9	एन0पी0वी0 राशि	0.95 हैक्ट. @ 957780/-	594700	909891	594700	315191
	योग		9441132	11666820	9441132	2225688

14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।	हाँ जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक :– 649 दिनांक :– 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित /प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

S.No. 256

Date :- 13.06.2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड़

विषय :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

प्रसंग :– प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7595/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच.12 से रोज्या अण्डार आर.आर.एस.एम.पी. फैज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेत बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा । अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रूपये 5,76000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स फेज–1 लोधी रोड नही दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 94,41,132 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोंक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवष्यकता नही होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राषि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराषि का बैंक ड्राफट / चैक की छायाप्रति सहित सैंद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राषि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराषि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अभिकरण द्वारा धन राशि रूप्ये 94,41,132 / – जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 94,41,132 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव – 8,72,000 / –रूपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण – 69,77,000 / – दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि – 5,76,000 / – रूपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि –3,87,639 / –रूपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए.की राशि ' 6,28,493 / – रूपये दिनांक 27.06.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।	हाँ जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

क्रमांक :– 256 दिनांक :– 13.06.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित /प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. **(Proposal No.** FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नही होगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/ वन्यजीव (**Flora/Fauna**) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एंव इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000 रूपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवष्यक धनराषि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संषोधित) 69,77,000/– रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 			दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि 5,76,000/– रूपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा कराया जायेगा।

उक्त राशि का विवरण —

1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव	— 8,72,000 / —रूपये दिनांक 26.04.2017
2.मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण	—69,77,000 / — रूपये दिनांक 26.04.2017
3. एन.पी.वी. की राशि	— 5,76,000 / — रूपये दिनांक 26.04.2017
4. सी.ए. की राशि	—3,87,639 / — रूपये दिनांक 01.11.2018
5. सी.ए.की राशि	— 6,28,493 / — रूपये दिनांक 27.06.2019

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
आर डी ओ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवष्यकता नही होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राषि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराषि का बैंक ड्राफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैंद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राषि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराषि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. **(Proposal No.** FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० आ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिष्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाषित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरषः प्रकाषित करवायी गयी हैं एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया हैं।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांकः-100

दिनांक :- 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरंक्षक
झालावाड़ जिला झालवाड़ राज0

विषयः– सम्पर्क सडक एन–52 से रोज्या अन्डर RRSMP (Phase-II) in Distt. झालावाड ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 628493.00 रू केम्पा फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एंव टेजरी के बिल की प्रति सलंग्न कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय

(एल. पी. [illegible]डी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1987@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2019–20 /
निमित्त :-   दिनांक:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) IN Dist. Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7595/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (51) वन / 2015 दिनांक 18.03.2015 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के कम मे विषयाकिंत प्रस्ताव मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 मे Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) IN Dist. Jhalawar. मे 0.994 हैक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है–

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ो की संख्या से अधिक पेड़ो का पातन नही किया जावेगा।	प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावें।उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

Contd-2

	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको सरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव किया जावेंगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेडों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि 7863496 रू. जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेंगी।	हां, जी कुल राशि रू 9441132 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रू 594700 एनपीवी के सम्मिलित है।
10.	उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी कुल राशि रू 9441132/– जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रू 982936 सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनमीवी की दरों में बढोतरी होती हॉ जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरू डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण मे बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक	अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रू 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षो का रोपण एवं रखरखाव :– 982936 /– रू. 2. मार्ग के तीनो तरफ वृक्षारोपण 7863496/– रू. 3. एन.पी.वी – 594700/– है।

1300FCA letter

	स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें।तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गई है । समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :— 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2019–20/9131 दिनांक: 10-6-19

प्रतिलिपि :— अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 106 दिनांक 28.05.2019 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

२८

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक : 28-5-19

उप वन संरक्षक 106
झालावाड़

विषयः– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

संदर्भः– प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7795/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक प. 1 (51)वन /2015 दिनांक 18.03.2015 के कम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड़ एन.एच. 12 से रोज्या अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हैक्ट हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

कमांक	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पलना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नही होगा । अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पालन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेंकिग ,सलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एंव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षजि नही पहुचाई जावेगी उंव उनके संरखक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पसियो एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे । अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेंगा । उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होगे। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस–पास मे वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेबी एंव इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सूजर की होगी।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्रके आस पास में वनस्पति /वन्य जीवन सरंक्षक की क्षति हानि पर यूजर ऐजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर ऐजेन्सी की रहेगी । अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या मे वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ो की राश प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।

(1) 29-5-19

8.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमानं दरो को समाहित करते हुए यथासंश) जमा की जावेगी।	हाँ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। [illegible] टेकिंग सलंग्न है।
9.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, राशि रू. [illegible]/- रूपये जमा करा दी गयी है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा कराया जायेगा।	हाँ जी, राशि रू. 9441132/- रूपये जमा करा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रू. [illegible]/- रूपये सम्मलित है।
11.	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सद्वाम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हाँ जी, वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एंव प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सडक निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा। तथा प्रस्तावित वन भूमि में सडक निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्यतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण मे विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अभिकरण द्वारा धन राशि 9441132/- रूपये चालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलग्न है कुल 9441132 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है 1. 100 वृक्षो का रोपण एवं रखरखाव - [illegible]/- 2. मार्ग के दोनों तक वृक्षारोपण- [illegible]/- 3. एन.पी.वी. -594700/-छायाप्रति सलंग्न है।
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबधित क्षैत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिर्पोट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रयोजन संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अखरश प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	हाँ जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर ऐजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी । जो कि दिनांक 25.12.2018 को करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति
2 वचन बद्धता प्रमाण पत्र
3 मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल.सी. [illegible])
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1 श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2 श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत झालावाड
3 श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Reference No :24386914

NH12 मे रोड पी

Government Of Rajasthan
WAM Innerleader sheet

Detailed Wam bill of : EX eng pwd Div-Aklera(15294) — Month/Year: May/2019

Bill For Works Payment : WAM Payment — OfficeID: 15294

Division Name	EX EN PWD AKLERA	Reference No	1752873	Wam Reference No	81/1 of 10
Date	24/05/2019	Division Code	103	Bill No	10071
TAN	JDHE00424E	Demand No	21	DDOCode	15294
SF	628493.00	Object Head	21	Budget Head	3054-04-800-02-01/SF//
		NonPlan	0.00	NA	0.00

To,
The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
Please Order to pay ₹ 628493 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk — Sign of DA — Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the Grant/Budget allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign Of DDO with Seal/Sign/Digital Sign of DDO
9460522074
डी० डी० ओ० 15294

Sr.No.	Name / Address / Mobile	Bank Name / Account No / IFSC Code / Branch Name	Invoice No / Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt / Net Amt	WAMID	Budget Head / Deduction Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1900 12:00:00 AM	628493.00 628493.00	1752873	

Gross Amount Rs. 628493.00 — B.T.Amount: Rs. — Net Amount:Rs. 628493.00

Amount In Words : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE Only

Sign Of DDO with Seal/Sign/Digital Sign of DDO

डी० डी० ओ० 15294

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Treasury Voucher

No: — Date :

Pay ₹ : 628493.00

(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE ONLY

B.T. Heads :

Head — Amount

Total
(In Cash) ₹ : 628493.00
(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE ONLY

Auditor — Supdt — Gaz.Officer — Auditor — AAO-I/II — Treasury/Sub Treasury Officer

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtesy National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:3054 VR

NH-12 से रोज्या

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

BillRef No. 10071, Dated 24/05/2019

Reference No.

Division Name: EX.eng pwd Div-Aklera, Division Code 15294

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: **NH-12 to Rojya**

Vendor Name: **CORPORATION BANK**

Sanction/Autorization/BillNo: Dated:

Budget Head: **3054-04-800-02-01-21-V-P** Reason:

Bank Details: AccountNo.- 150856113589281, IFSC Code: **CORP0000371**

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: **6,28,493** (In Words): **Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only**

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount

Net Amount Payable In Figures: **6,28,493** (In Words): **Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only**

Received from ......sum of Rs......(Rupees......) on account of (Work Name)..../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office

Signature of DA with seal

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	**EXECUTIVE ENGINEER**
Application No.	**6175050315**
MoEF/SG File No.	**1(51)FOREST/2015**
Location.	**RAJASTHAN**
Address.	**PWD Div. AkleraJhalawar**
Amount(in Rs)	**628493/-**

Amount in Words Six Lakh Twenty-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**RAJASTHAN CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**150856175050315** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	**EXECUTIVE ENGINEER**
Application No.	**6175050315**
MoEF/SG File No.	**1(51)FOREST/2015**
Location.	**RAJASTHAN**
Address:	**PWD Div. Aklera Jhalawar**
Amount(in Rs)	**628493/-**

Amount in Words Six Lakh Twenty-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**RAJASTHAN CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**150856175050315** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

24/5/2019

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
ई.डी.ओ. 15294

[illegible]

दिनांक :-

[illegible] की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

राजस्थान सरकार

वन विभाग

[illegible] प. 1(51) वन/2015 जयपुर दिनांक 18.03.2015

[illegible] वन संरक्षक (HoFF)

[illegible] जयपुर।

[illegible] Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.

[illegible] – प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7795/2014

[illegible]

[illegible] उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के [illegible] सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही [illegible] गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के [illegible] राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 11-9/98- एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar. में 0.95 हेक्टेयर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
3. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जाएंगे।
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में स्थित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाए। उक्त क्षेत्र में स्थित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) को क्षति होने पर यूजर एजेंसी की जिम्मेदारी होगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जाएगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव) जमा की जाएगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
10. उपरोक्त अनुच्छेदों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक डिस्पोजल योजना एक वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गई राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का अवलोकन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाए तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित कराएं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल क्षेत्रीय पंचायत एवं नगरपालिका के सम्बन्धित अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय,

([illegible])

शासन सचिव-वन

22 दिसम्बर, 2018, शनिवार

कर्ज से माफी नहीं, मुक्ति चाहिए

विभाजन को खारिज करते "मुस्लिम गीत"

Construction of Road NH-12 to Rajya ... Sanctioned under RRSMP [Phase II] ...

... Construction of Road NH-12 to Rajya ... Sanctioned under RRSMP [Phase II] ...

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
खण्ड झालावाड़

दिनांक: 14.12.2018

निविदा सूचना संख्या 34/2018-19

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महामारियों पर लगेगी रोक

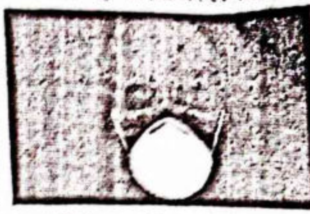

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in
******

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,

The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियन के प्रत्यावर्तन प्रकरणों मे की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

(i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)

(ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)

(iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743	150856113599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

FORM-1

(For Linear Projects)

Government of Rajasthan)

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4193-95

Date :- 22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of india's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3" August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Schedduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.95 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer PW.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Approach road to Rojya falls within juridiction of Gram Panchayat Borkheri Gujran Village in Rojya in Aklera tehsil. It is further certified that :-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.95 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee/s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4193-95

Date :- 22-08-24

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwarfor N/A

Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा–03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड की बैठक जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गई जिसमे संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारीयो ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सम्पर्क सडक नयागांव भानपुरा ग्राम पंचायत खेडला खसरा नं. 105 में 2000 वर्गमीटर = 0.20 हैक्टेयर, सम्पर्क सडक बडौदिया से जटामरी ग्राम पंचायत बडौदिया खसरा नं. 497.,529,530,528,155,99,98 में 9940 वर्गमीटर = 0.994 हैक्टेयर एवं सम्पर्क सडक रोज्या ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान खसरा नं. 651/240, 650/236, 235, 649/234 में 9500 वर्गमीटर = 0.95 हैक्टेयर ,सम्पर्क सडक बानीखेडी ग्राम पंचायत डोडी खसरा नं. 383.,364,363,383 में 5200 वर्गमीटर = 0.52 हैक्टेयर भूमि वन क्षैत्र में आती है। जिसमे उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, झालावाड़, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा सम्पर्क सडको के निर्माण कार्य मे आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणो का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानो के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नही किया गया है ना ही वन क्षैत्र मे कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यो में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण–पत्र जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

क0 स0	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षैत्र	खसरा नं0	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि	किस्म
1	सम्पर्क सडक नयागांव भानपुरा	खेडला	असनावर	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
2	सम्पर्क सडक बडौदिया से जटामरी	बडौदिया	असनावर	497,529,530,528, 155,99,98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
3	सम्पर्क सडक रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
4	सम्पर्क सडक बानीखेडी	डोडी	गंगधार	383, 364, 363, 383	5200 वर्गमीटर = 0.52 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
				Total	26640 वर्गमीटर = 2.664 हैक्टेयर	

मुख्य कार्यकारी अधिकरी
जिला परिषद, झालावाड

उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम/ दिनांक :

प्रतिलिपी सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड
2. उपवन संरक्षक, झालावाड
3. उपखण्ड अधिकारी झालावाड़, असनावर, अकलेरा व गंगधार
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. झालावाड
5. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा/चौमहला
6. रक्षित पत्रावली

मुख्य कार्यकारी अधिकरी
एंव परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

दिनांक 04/07/2024 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति अकलेरा की बैठक सम्पन्न हुई। इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रकियाधीन नही है।

क.स.	ग्राम	खसरा नं0	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	रोज्या	651/240	बोरखेडी गुजरान	500sqm= 0.050 Hect.
2	रोज्या	650/236	बोरखेडी गुजरान	3000sqm= 0.300 Hect.
3	रोज्या	235	बोरखेडी गुजरान	3250sqm= 0.325 Hect.
4	रोज्या	649/234	बोरखेडी गुजरान	2750sqm= 0.275 Hect.
			कुल	9500sqm= 0.95 Hect

क्षैत्रीय वनाधिकारी
अकलेरा (झालावाड)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति अकलेरा

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड)

दिनांक 26-02-2024 को ~~उपखण्ड~~ पंचायत स्तरीय वनाधिकारी समिति...................... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नही है।

क.स.	ग्राम	खसरा नं0	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि
1	रोज्या	651/240	बोरखेडी गुजरान	500sqm= 0.050 Hect.
2	रोज्या	650/236	बोरखेडी गुजरान	3000sqm= 0.300 Hect.
3	रोज्या	235	बोरखेडी गुजरान	3250sqm= 0.325 Hect.
4	रोज्या	649/234	बोरखेडी गुजरान	2750sqm= 0.275 Hect.
			कुल	**9500sqm= 0.95 Hect**

ग्राम सेवक एवं प्रदत्त सचिव
ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान
पंचायत समिति अकलेरा

सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान
पं.स. अकलेरा (झालावाड़)

सरपंच
ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान

कार्यालय ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान

पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.) 26-02-2024

क्रमांक SP-138/2024-25 दिनांक ~~[illegible]~~ -2024

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण
विभाग खण्ड, अकलेरा जिला झालावाड

विषय : सम्पर्क सड़क रोज्या मे डामरीकरण करवाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान की सम्पर्क सड़क रोज्या की भूमि मे 850 meter लम्बाई मे से गुजर रही है तथा ग्राम रोज्या के ग्रामवासियो उक्त रास्ते से गुजरते है। ग्रामिणो की मांग पर उक्त भूमि मे से सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा द्वारा डामर सड़क निकालने के लिए वन विभाग रेन्ज अकलेरा से ग्राम रोज्या के लिए 850 meter लम्बाई तथा 10.08 मीटर चौडाई के लिए वन विभाग की आवंटित करने का प्रस्ताव ग्राम वासियो व कोरम द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर निर्णय किया गया वन विभाग को प्रस्ताव की फोटोकोपी भिजवाने का निर्णय किया गया

सचिव ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान
पं. स. अकलेरा

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान
पं.स. अकलेरा जिला झालावाड़

m/liw
5/25

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2024 / 1074 दिनांकः 22-02-24

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषयः– Construction of Road NH-12 to Rogya sentioned under RRSMP (Phase-II) in Dist-Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Road NH-12 to Rogya sentioned under RRSMP (Phase-II) in Dist-Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक प. 1 (51) वन / 2015 दिनांक 18.03.2015 से की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा द्वारा पत्रांक 50 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

क्रमांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2024 / 1075-77 दिनांकः 22-02-24

प्रतिलिपि :–
1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मय 03 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़